है एवं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है यह [illegible] इस देश में बसोर जाति एवं उसकी उपजातियों के साथ में विधायिका/कार्यपालिका/न्यायपालिका ने बहुत बडा भेदभाव किया हैं ना तो विधायिका ने इस जाति के सरंक्षण के लिए नियम बनाए और ना ही कार्यपालिका ने इनके विकास के लिए कोई योजना बनाई है जिससे यह जाति अन्य जातियों के भांति अपने मान सम्मान के साथ जीवन जी सके।

बसोर जाति की आर्थिक शैक्षणिक/रोजगार की स्थिति का अध्ययन करवाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय के संज्ञान में लाना चाहते है जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय केन्द्र सरकार एवं 10 मंत्रालय व समस्त राज्य सरकारों को बसोर समाज की मांगो/समस्याओं को छः माह के अन्दर अध्ययन कर उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाने के लिए निर्देशित करें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने वाल्मिक जाति/अहिरवार जाति/कुम्हार जाति के लिए निगम/मंडल/आयोगों का गठन कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है लेकिन एक बसोर जाति को शासकीय लाभ से दूर रखा गया है।

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि इस देश में जगल,जमीन,जानवर, इंसान,पशु पक्षी, पेड पौधो का संरक्षण की जबाबदारी सरकार की होती है लेकिन बसोर जाति को अनूसूचित जाति की श्रेणी मे रख दिया गया है चाहे उसको शासकीय लाभ मिले अन्यथा न मिले सरकार अपने कर्तव्य से अलग हो गई अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति सूंपर्ण भारत में निवास करने वाली बसोर जाति एवं उसकी उपजातियों संरक्षण के लिए नेतृत्व करती रहेगी।

अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण जो शासन के अधीन विचारार्थ है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई ।

लोकतंत्र के मंदिर मध्यप्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र 2007 30 अप्रेल 2007 को तत्कालीन विधायक माननीय ताराचन्द्र बाबरिया के प्रश्न क्रमाक 3682 द्वारा बसोर समाज की समस्याओं एवं मांगों के संबंध में जानकारी चाही गई है।